न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्र.– R-955-II/ निग./2013 13

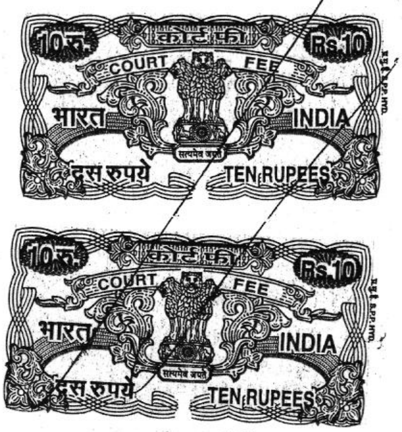

(1) भन्नू तनय चन्नू यादव उम्र 70 वर्ष

(2) राजाराम तनय चन्नू यादव उम्र 60 वर्ष

(3) रमेश तनय बंशी यादव उम्र 30 वर्ष

(4) मुस. बैनीबाई वेवा बंशी यादव उम्र 65 वर्ष

निवासीयान सुजानपुरा तहसील बल्देवगढ़

जिला–टीकमगढ़ (म.प्र.)

.....निगरानीकर्तागण

क्रमांक 753
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक 26-2-13 को प्राप्त
26-2-13
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, टीकमगढ़

(म.प्र.) – प्रति उत्तरदाता

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959</u>

<u>न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 196/बी/121/2011–12 स्व–पुनरीक्षण 2011–12/226 टीकमगढ़ दिनांक 30–8–2012 एवं प्राप्त आर्डर सीट दिनांक 8–2–2013 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत किया गया है।</u>

महोदय,

निगरानीकर्तागण की विनय निम्न प्रकार है :–

(1) यह कि श्रीमान् अधीनस्थ न्यायालय के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1395/18 भू–अभि./2012 दिनांक 27–7–2012 द्वारा तहसीलदार बल्देवगढ़ के प्रतिवेदन पर बिना जांच एवं अभिलेख रिकार्ड देखे उक्त प्रकरण तैयार किया है, तथा प्रकरण में नामांतरण को शून्य घोषित करने व उक्त खसरा नंबर को शासकीय घोषित करने के प्रशनाधीन भूमि के सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा के विक्रय पत्र के आधार पर स्व–पुनरीक्षण पंजीवद्ध किया है जो कि भूतलक्षी प्रभाव से स्थिर रखने योग्य नहीं है।

(2) यह कि प्रश्नाधीन भूमि के लिये अ/19(1)/1970–71 में श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 8–8–71 द्वारा कृषि प्रयोजन हेतु पट्टा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 955–दो / 13 **जिला** –टीकमगढ

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभषक आदि के हस्ताक्षर
3.02.16	आवेदक के अधिवक्ता एवं आवेदक कोई उपस्थित नहीं । वह लगभग 13 पेशियों से अनुपस्थित रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को प्रकरण में आगे चलाने की कोई रूचि नहीं है। समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ । अतः प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे। सदस्य	